दिनांक–26 फरवरी, 2019 को बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा आयोजित बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :–

1. उपस्थिति पत्र संलग्न :–
2. बैठक की कार्यवाही :–

निर्धारित कार्यावली के अनुसार, अध्यक्ष द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों का स्वागत् करते हुए, बैठक की कार्रवाई आरम्भ की गयी। कार्यावली के अनुसार बैठक में लिए गये निर्णयों की विवरणी निम्नवत् है :–

2.1 **बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना का गठन, बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2016 एवं संक्षिप्त विवरण :** बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना के गठन, बिहार जैव विविधता नियमावली, 2017 पर चर्चा करते हुए इसके नियम–14 का अवलोकन किया गया, जिसके प्रावधानों के तहत् यह बैठक आहुत की गयी है।

2.2 **पर्षद् का कार्यालय, बुनियादी उपस्कर, उपकरण एवं सामाग्रियों का क्रय :** बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, का मुख्य लेखा शीर्ष 2406 वानिकी एवं वन्य प्राणी (001 निदेशन एवं प्रशासन) के तहत खोला गया है, इस मद में अभी कुल ₹45,13,000/– (पैंतालीस लाख तेरह हजार) राशि का आवंटन निर्गत है। अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा सूचित किया गया है कि कार्यालय उपस्कर, उपकरणादि हेतु मांगी गयी राशि भी इस आवंटन में सम्मिलित है। इस आवंटित राशि से, क्रय प्रक्रिया का पालन करते हुए, आवश्यक उपस्कर, प्रसार सामग्रियाँ एवं उपकरणादि क्रय करने की स्वीकृति पर्षद् द्वारा दी गयी।

2.3 **कार्यालय संचालन एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु न्यूनतम कार्यबल की प्रयुक्ति :** जैसा कि कार्यावली में उल्लेखित है, अध्यक्ष एवं सचिव को छोड़कर बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना कार्यालय में कोई अन्य कार्यबल कार्यरत/उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में कार्यालय के दिनानुदिन कार्यों एवं जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा इसके नियमावली के तहत् प्रावधानित दायित्वों के निर्वहन सम्भव नहीं है। इस विशेष स्थिति में, अस्थायी और कार्यकारी व्यवस्था के तहत् पर्षद् द्वारा फिलहाल ये स्वीकृति दी गयी कि, विभाग से एक अवकाश प्राप्त सहायक, जिनकी उम्र 65 वर्ष से कम हो, और जो प्रधान लिपिक तथा लेखा सहायक की सेवांए दे चुके हों, उन्हें दक्ष मजदूर की मजदूरी भुगतान करके, फिलहाल कार्य सम्पादन कराये जाँय। इसी प्रकार, एक कम्प्यूटर ऑपरेटर (बेल्ट्रॉन निर्धारित दर पर), दो आदेशपाल, एक वाहन चालक यदि वाहन का क्रय हो जाय, (क्रमशः अकुशल और कुशल मजदूरी भुगतान पर) की सेवांए लेने की स्वीकृति पर्षद् द्वारा दी गयी। ऐसे

उक्त मजदूर जिन्हें फिलहाल विभागीय कार्य के अनुभव हों, उन्हें तत्काल कार्यों पर प्रयुक्त करने पर, कार्य संपादन में सहुलियत होगी।

2.4 **मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड तथा झारखण्ड राज्यों के अन्तर्गत कार्यरत पषदों अन्तर्गत जैव विविधता प्रबंधन समितियों के गठन एवं पंजी अभिलेखन की प्रक्रिया को पर्षद सदस्यों के समक्ष रखा गया।** अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परविर्तन विभाग, बिहार का सुझाव था कि आरंभिक चरण में वन पदाधिकारियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के विशेषज्ञों की कार्यशाला आहुत कर ली जाय और उनके अनुभव एवं सुझावों पर विचार करके, बिहार राज्य के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया का चयन किया जाय। पर्षद द्वारा इस सुझाव पर स्वीकृति दी गयी।

2.5 **कार्यालय हेतु वाहन का क्रय** : पर्षद् के अध्यक्ष के लिए एक स्टाफ कार (महिन्द्रा एक्स.यू.भी. 500/महिन्द्रा स्कार्पियों) क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। वाहनों के क्रय होने तक, अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त किये जा रहे भाड़े (बिहार सरकार अन्तर्गत सरकारी विभागों में स्वीकृत निविदाओं के आधार पर) वाहन के प्रयोग पर सहमति दी गयी, जब तक कि स्टाफ कार का क्रय नहीं हो जाय।

2.6 **अन्याय :**

I सरकार से पदों के सृजन हेतु, शीघ्र प्रस्ताव देने के निर्णय लिए गये।

II बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, अभी आरंभिक चरण में है। अन्य राज्यों, जहाँ के बोर्ड सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, उनसे सम्पर्क स्थापित करने और वहाँ भ्रमण करके, वहाँ के अनुभव और व्यवस्था को प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के सुझाव दिये गये।

III प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार द्वारा : बिहार राज्य में उपलब्ध मछलियों के जर्म प्लाज्म संरक्षण की आवश्यकता एवं औषधीय पौधों के अभिलेखीयकरण के सुझाव दिये गयें।

अध्यक्ष, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के धन्यवाद के साथ बैठक का समापन हुआ।

अनुलग्नक : यथोक्त।

26/4/19

(ललन प्रसाद सिंह)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

26/2/19

(एस. के. सिंह)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।